

न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या -20/2016 , 21/2016 एवं 22/2016 जिला दौसा

1. शम्भू दयाल पुत्र घीस्या, जाति खाती (जांगिड) निवासी प्यारीवास, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा ।

अपीलान्त

बनाम

1. कल्ली देवी पुत्री घीस्या पत्नि प्रहलाद , जाति जांगिड, निवासी सोनड, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।
2. शान्ती देवी पुत्री घीस्या पत्नि प्रहलाद, जाति जांगिड, निवासी चुडियावास, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा ।
3. कमला पुत्री घीस्या पत्नि रामकिशोर , जाति जांगिड, निवासी गढोली, तहसील बस्सी , जिला जयपुर ।
4. गीता देवी पुत्री घीस्या पत्नि बाबू लाल, जाति जांगिड, निवासी गढोली, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।
5. सीताराम पुत्र घीस्या , जाति खाती (जांगिड) निवासी प्यारीवास, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा ।
6. मु. मूली पत्नि जगदीश जाति खाती (जांगिड) निवासी प्यारीवास, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा (मृतक नाम हज्फ)
7. राधाकिशन पुत्र जगदीश, जाति खाती (जांगिड) निवासी प्यारीवास, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा ।
8. संजय कुमार पुत्र जगदीश जाति खाती (जांगिड) निवासी प्यारीवास, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा ।
9. शंकर लाल पुत्र जगदीश जाति खाती (जांगिड) निवासी प्यारीवास, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा ।

ग्राम पंचायत प्यारीवास, तहसील दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान, जरिये सरपंच ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी नांगल राजावतान, जिला दौसा दिनांक 22.7.2015 खातेदार घीस्या की विरासत के नामांतरकरण संख्या 25 दिनांक 22.6.1990 ग्राम पंचायत प्यारीवास, घीस्या की बेवा मु. गुलाब की विरासत के नामांतरकरण संख्या 165 दिनांक 12.2.2004 ग्राम पंचायत प्यारीवास एवं घीस्या के पुत्र जगदीश की विरासत के नामांतरकरण संख्या 180 ग्राम पंचायत प्यारीवास

उपस्थित-

1. वकील अपीलान्त श्री विनोद कुमार विजय
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री श्याम बाबू पारीक

निर्णय

दिनांक- 30.01.2018

यह द्वितीय तीनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी नांगल राजावतान, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 22.7.2015 के खिलाफ प्रस्तुत हुई हैं जिसके द्वारा घीस्या की पुत्री कल्ली वगैहरा की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा खातेदार घीस्या की विरासत के नामांतरकरण संख्या 25 दिनांक 22.6.90, घीस्या की विधवा मु. गुलाब की विरासत के नामांतरकरण संख्या 165 दिनांक 12.2.2004 एवं घीस्या के पुत्र जगदीश की विरासत के नामांतरकरण संख्या 180 निरस्त किये प्रकरण मृतक घीस्या पुत्र रामकुंवार के विधिक वारिसों की जांच की जाकर उभयपक्षों को सुना जाकर विधिसम्मत निर्णय

पारित कर पुनः नामांतरकरण तस्दीक करने हेतु तहसीलदार नांगल राजावतान को रिमाण्ड किया है। तीनों अपीलों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन तीनों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की प्रति तीनों पत्रावलियों में रखी जावे। तीनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :-

यह कि ग्राम प्यारीवास, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 77 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 78 रकबा 0.75 हैक्टेयर, 79 रकबा 0.64 हैक्टेयर, 80 रकबा 0.30 हैक्टेयर, 81 रकबा 0.45 हैक्टेयर, 83 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 84 रकबा 0.40 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 2.70 हैक्टेयर का खातेदार अपीलान्त शम्भू दयाल व रेस्पोंडेन्ट 1 से 5 कल्ली देवी, शांती देवी, कमला, गीता, सीताराम के पिता, रेस्पोंडेन्ट संख्या 6 मूली के ससुर, रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 से 9 राधाकिशन, संजय कुमार एवं शंकर लाल के दादा घीस्या पुत्र रामकंवार था जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 25 घीस्या के पुत्र जगदीश, शम्भू, सीताराम व घीस्या की बेवा मु. गुलाब के नाम ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा दिनांक 22.6.1990 को स्वीकार किया गया। इसके पश्चात् खातेदार घीस्या की बेवा मु. गुलाब के फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 165 जगदीश, शम्भू व सीताराम पि. घीस्या के नाम ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा दिनांक 12.02.2004 को स्वीकार किया गया। इसके पश्चात् खातेदार घीस्या के पुत्र जगदीश के फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 180 ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा मु. मूली बेवा जगदीश, राधाकिशन, संजय (बालिग) एवं शंकर (नाबालिग) पुत्रान जगदीश संरक्षक माता मूली हिस्सा 1/3 का स्वीकार किया गया। उक्त तीनों नामांतरकरणों के खिलाफ खातेदार घीस्या की पुत्रियाँ कल्ली वगैहरा द्वारा पृथक पृथक तीन अपीलें न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नांगल राजावतान, जिला दौसा के समक्ष दिनांक 14.2.2013 का मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.7.2015 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 25 दिनांक 22.6.90, नामांतरकरण संख्या 180 एवं नामांतरकरण संख्या 165 दिनांक 12.2.2004 निरस्त किये जाकर प्रकरण मृतक घीस्या पुत्र रामकंवार के विधिक वारिसों की जाँच की जाकर उभयपक्षों को सुना जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित कर पुनः नामांतरकरण तस्दीक करने हेतु तहसीलदार नांगल राजावतान को रिमाण्ड किया गया है। उप खण्ड अधिकारी नांगल राजावतान के उक्त निर्णय दिनांक 22.7.2015 के खिलाफ मृतक खातेदार घीस्या के पुत्र शम्भू दयाल द्वारा यह तीनों अपीलें प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नांगल राजावतान दिनांक 22.7.2015 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

तीनों अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अपीलान्त के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 4 या उनके अधिवक्ता के उपस्थित हुये बिना रेस्पोंडेन्ट सीताराम व संजय से मिलीभगत कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है। उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 4 ग्राम पंचायत के समक्ष पक्षकार नहीं थी इसलिये उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलें पेश करने का अधिकार नहीं था। उनके द्वारा अपील पेश करने की इजाजत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया। ऐसी स्थिति में अपील चलने योग्य नहीं थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपील मंजूर कर रिमाण्ड करने में कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलें स्पष्ट रूप से मियाद बाहर थी। नामांतरकरण की जानकारी दिनांक 1.6.12 को होना बताते हुये अपीलें दिनांक 14.2.13 को पेश की थी जो स्पष्टतः मियाद बाहर थी। मियाद का बिन्दू भी विधि का महत्वपूर्ण बिन्दू था जिसे तय किये बिना ही गुणावगुण पर निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। उनका कहना था कि पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के संबंध में दावा निर्णित होकर डिक्री हो चुका था जिसके खिलाफ अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें रेस्पोंडेन्ट 1 से 4 पक्षकार बन चुके हैं। उनका कहना था कि दावे की अपील के विचाराधीन रहते नामांतरकरण की सरसरी प्रक्रिया को न्याय की दृष्टि से स्थगित रखना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं कर अपीलाधीन आदेश से अपीलें स्वीकार कर रिमाण्ड करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ

न्यायालय को राजस्व लोक अदालत कैम्प में मात्र राजीनामा के अधार पर निर्णय करने का अधिकार था न कि गुणावगुण पर निर्णय करने का, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व कैम्प में बिना राजीनामा हुये ही निर्णय करने में कानूनी भूल की है। अतः तीनों अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी नांगल राजावतान दिनांक 22.7.2015 निरस्त किया जावे। उनके द्वारा आर.आर.टी.2014-15 (supp.) पेज 441, आर.बी.जे. (6)1999 पेज 481, आर.बी.जे.(13) 2006 पेज 366, आर.आर.डी. 1994 पेज 129, आर.आर.डी. 1993 पेज 774, आर.आर.टी. 2012 (1) पेज 101, आर.आर.टी. 2016 (2) पेज 1110, आर.आर.टी. 2015 (1) पेज 369, 2009 डी. एन.जे.(एस.सी.) पेज 846, ए.आई.आर.2011 एस.सी. पेज 1237, आर.बी.जे. (12) 2005 पेज 132, आर.बी.जे.(19) पेज 2012 पेज 686,, आर.आर.ट. 2015 (1) पेज 233, आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 117, आर.बी.जे. (11) 2004 पेज 327, आर.आर.डी. 1993 पेज 44, आर.आर.डी. 1993 पेज 232, आर.बी.जे.(20) 2013 पेज 1, 2013 (1) आर.आर.टी. पेज 383, आर.आर.टी. 2013 (1) पेज 546 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का खातेदार घीस्या था जो फौत हो गया ओर घीस्या की बेवा मु. गुलाब एवं घीस्या के पुत्र जगदीश भी फौत हो गये। उक्त तीनों घीस्या, मु. गुलाब व जगदीश की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरणों को तस्दीक करने से पूर्व रेस्पोंडेन्ट्स जो कि मृतक खातेदारों की विधिक वारिसान है, को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया न ही मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जांच की गई। उनका कहना था कि विवादित भूमि पैतृक भूमि थी जिसके प्रश्नगत नामांतरकरण अपीलान्ट्स जो कि मूल खातेदार घीस्या की जायन्दा पुत्रियाँ हैं को छोड़कर केवल पुत्रों के नाम तस्दीक करने में विधिक त्रुटि है। ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरुद्ध तस्दीक नामांतरकरणों के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट्स की अपीलें अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नांगल राजावतान द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.7.2017 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 25 दिनांक 22.6.90, नामांतरकरण संख्या 180 एवं नामांतरकरण संख्या 165 दिनांक 12.2.2004 निरस्त किये जाकर प्रकरण मृतक घीस्या पुत्र रामकंवार के विधिक वारिसों की जांच की जाकर उभयपक्षों को सुना जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित कर पुनः नामांतरकरण तस्दीक करने हेतु तहसीलदार नांगल राजावतान को रिमाण्ड किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः तीनों अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

मैंने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया। प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार घीस्या व घीस्या की विधवा मु. गुलाब एवं घीस्या के पुत्र जगदीश की विरासत के ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक तीनों नामांतरकरणों के संबंध में है। विवादित भूमि के खातेदार अपीलान्ट शम्भू दयाल व रेस्पोंडेन्ट 1 से 5 कल्ली देवी, शांती देवी, कमला, गीता, सीताराम के पिता, रेस्पोंडेन्ट संख्या 6 मूली के ससुर, रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 से 9 राधाकिशन, संजय कुमार एवं शंकर लाल के दादा घीस्या पुत्र रामकंवार था जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 25 घीस्या के पुत्र जगदीश, शम्भू, सीताराम व घीस्या की बेवा मु. गुलाब के नाम ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा दिनांक 22.6.1990 को स्वीकार किया गया। इसके पश्चात् खातेदार घीस्या की बेवा मु. गुलाब के फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 165 जगदीश, शम्भू व सीताराम पि. घीस्या के नाम ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा दिनांक 12.02.2004 को स्वीकार किया गया। इसके पश्चात् खातेदार घीस्या के पुत्र जगदीश के फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 180 ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा मु. मूली बेवा जगदीश, राधाकिशन, संजय (बालिग) एवं शंकर (नाबालिग) पुत्रान जगदीश संरक्षक माता मूली हिस्सा 1/3 का स्वीकार किया गया। उक्त तीनों नामांतरकरणों के खिलाफ खातेदार घीस्या की पुत्रियाँ कल्ली वगैहरा द्वारा पृथक पृथक तीन अपीलें न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नांगल राजावतान, जिला दौसा के समक्ष दिनांक 14.2.2013 का मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.7.2015 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 25 दिनांक 22.6.90, नामांतरकरण संख्या 180 एवं नामांतरकरण संख्या 165 दिनांक 12.2.2004 निरस्त किये जाकर प्रकरण मृतक घीस्या पुत्र रामकंवार के विधिक वारिसों की जांच की जाकर उभयपक्षों को

चित्रा
अतिरिक्त संभा
व्यय

सुना जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित कर पुनः नामांतरकरण तस्दीक करने हेतु तहसीलदार नांगल राजावतान को रिमाण्ड किया गया है । पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के संबंध में दावा निर्णित होकर डिक्री होने के बाद उसके खिलाफ अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा विवादित भूमि के मृतक खातेदार घीस्या एवं घीस्या की विधवा मु. गुलाब की विरासत के नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व मृतकों के विधिक वारिसान की जाँच नहीं की तथा मृतकों की पुत्रियों रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 4 को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया । जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक था । उक्त परिपेक्ष्य में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 4 की अपीलें अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नांगल राजावतान, जिला दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.7.2015 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 25 दिनांक 22.6.90, 180 एवं 165 दिनांक 12.2.2004 निरस्त किये जाकर प्रकरण मृतक घीस्या पुत्र रामकंवार के विधिक वारिसों की जाँच की जाकर उभयपक्षों को सुना जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित कर पुनः नामांतरकरण तस्दीक करने हेतु तहसीलदार नांगल राजावतान को रिमाण्ड किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में उचित एवं विधिसम्यक होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्त में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप तीनों अपील अपीलान्त खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा
(चित्रा गुप्ता)
प्रतिरिक्त सभागीय प्रावृ-
आति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर